सीएसआईआर – केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी – 333031 (राजस्थान)

सं. 11(130)/22-स्था. दिनांक 06.04.2023

सूचना

विषयः दिनांक 22.12.2003 को या उससे पहले भर्ती के लिए विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों पर भर्ती किए गए केंद्रीय सरकार कर्मचारियों पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली लागू होने के संबंध में।

संदर्भ: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का का.ज्ञा. सं. 57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023

संदर्भित का.ज्ञा. के अनुसार उन सभी मामलों में, जहां केंद्रीय सरकार सिविल कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तिथि अर्थात् 22.12.2003 से पहले भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापित/अधिसूचित पद या रिक्ति पर नियुक्त किए गए है तथा दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में सम्मिलित होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आते हैं, सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के तहत आने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाना है। संबंधित सरकारी कर्मचारी इस विकल्प का प्रयोग दिनांक 31.08.2023 तक कर सकते हैं। जो योग्य कर्मचारी निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत ही रहेंगे।

यथानुसार, संस्थान में कार्यरत सहकर्मी, जो संदर्भित का.ज्ञा. के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं, इस विकल्प का प्रयोग दिनांक 31.08.2023 तक कर सकते हैं।

06/04/2023
(महेन्द्र सिंह)
प्रशासनिक अधिकारी

1. सूचना पट्ट
2. प्रभारी, ए.आई.टी.जी. – कृपया इस सूचना को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें।